संख्या- 24 /2020 /1600/38-7-2020-11नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 07 अक्टूबर, 2020

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद में भुगतान हेतु बकाया धनराशि की जनपदवार सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा योजनान्तर्गत जनपदों से श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद में भुगतान हेतु बकाया धनराशि की जनपदवार सूचना निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को दिनांक 17-09-2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की बकाया धनराशि (रू0 लाख में)			
			श्रमांश	सामग्री	सेमी स्किल	प्रशासनिक
1	3	3	4	5	6	7
योग						

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 24 /2020/1600(1)/अडतीस-7-2020 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2- अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in